FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0053 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 01/04/2024 19:31 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 20/03/2024 **Date To (दिनांक तक):** 31/03/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 15:30 बजे **Time To (समय तक):** 12:24 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 01/04/2024 **Time (समय):** 18:30 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 01/04/2024 19:31:51 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 30 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** Deputy Treasurer Office, Realmangra District Rajsamand

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Mukesh Tank

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Late Shri Sohan lal.

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1974 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Village Geelundh, Relamngra, RAJSAMAND, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Village Geelundh, Relamngra, RAJSAMAND, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-8078694530

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Sandeep Sharma		पिता:Vinod Kumar	1. Panchayat samiti Quater No.06,Relmangra,RAJSAMAND, RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय जी, वाकियात मामला हाजा संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 20.03.2024 को समय 03.30 पीएम पर परिवादी श्री मुकेश टांक पुत्र स्व. श्री सोहन लाल, निवासी गांव गिलूण्ड, तहसील व पुलिस थाना रेलमगरा जिला राजसमन्द ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द पर उपस्थित आया और एक टाईप शुदा प्रार्थना मन् मन्शाराम पुलिस निरीक्षक के समक्ष इस आशय का पेश किया की कि मैं प्रार्थी मुकेश टांक पुत्र स्व. श्री सोहन लाल जाति टांक, उम्र 50 साल, निवासी गांव गीलूण्ड, तहसील व पुलिस थाना रेलमगरा जिला राजसमन्द का रहने वाला हुं। मेरे पिताजी शिक्षा विभाग में शिक्षक के पद से दिनांक 31.12.1993 को सेवानिवृत होने के उपरान्त मेरे पिताजी के नाम पर पी0पी0ओ0 ऑर्डर जारी होकर मेरे पिताजी के नाम पर पेन्शन चालू हुई थी तथा दिनांक 29.02.2008 को मेरे पिताजी के स्वर्गवास होने के पश्चात मेरी माताजी श्रीमती चांदी बाई उर्फ चांद कुंवर के नाम पर पेन्शन जारी हुई। मेरी माताजी सीनियर सिटीजन होकर उनकी आयु 85 वर्ष हैं जो चलने-फिरने में असमर्थ हैं। मेरी माताजी की पेन्शन में वर्ष 2017 से आज दिनांक तक हुई वृद्धि का पेन्शन एरियर जो लगभग 4,86,000 रूपये के करीब बन रहा हैं। उक्त पेन्शन एरियर राशि करीब 4,86,000 रूपये मेरी माताजी के खाते में डालने की एवज में ट्रेजरी ऑफिस रेलमगरा में पदस्थापित श्री संदीप शर्मा बाबुजी ने मुझसे 20,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की तथा रिश्वत राशि नहीं देने पर पेन्शन एरियर की राशि खाते में नहीं डालने एवं पेन्शन एरियर की फाईल पुनः जयपुर भिजवाने का दबाव बनाया। जिस पर मैने श्री संदीप शर्मा बाबुजी के दबाव में आकर आज दिनांक 20.03.2024 को रिश्वत राशि 10,000 रूपये श्री संदीप शर्मा बाबुजी को दे दी तथा शेष रिश्वत राशि 10,000 रूपये नहीं देने पर मेरी माताजी की पेन्शन एरियर की राशि मेरी माताजी के खाते में जमा नहीं करने एवं पेन्शन एरियर की फाईल को पुनः जयपुर भिजवाने का दबाव बना रहे हैं। श्री संदीप शर्मा बाबुजी द्वारा मेरी माताजी की पेन्शन एरियर राशि उनके खाते में डालने की एवज में रिश्वत राशि 10,000 रूपये की और मांग कर मुझे अनावश्यक परेशान किया जा रहा हैं और मेरे वैध कार्य को अकारण लम्बित रखा हुआ हैं। श्री संदीप शर्मा बाबुजी एक भ्रष्ट कर्मचारी हैं जो बिना रिश्वत लिये किसी का भी काम नहीं करते हैं। मैं अपने जायज कार्य के लिए श्री संदीप शर्मा बाबुजी को शेष रिश्वत राशि 10,000 रूपये नहीं देना चाहता हुं और उन्हे रिश्वत राशि 10,000 रूपये लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हुं। मेरे व श्री संदीप शर्मा बाबुजी के बीच कोई आपसी लेनदेन बकाया नहीं हैं और ना ही हमारे बीच कोई आपसी रंजीश हैं। मैं मेरे पिताजी स्व0 श्री सोहन लाल जी के नाम पर जारी पी0पी0ओ0 ऑर्डर एवं मेरी माताजी के नाम जारी संशोधित पी0पी0ओ0 ऑर्डर की स्व. प्रमाणित प्रति पेष कर रहा हुं। अतः कानूनी कार्रवाई करावें। इसके उपरान्त मन् पुलिस निरीक्षक मंशाराम द्वारा परिवादी से मजिद दरियाप्त की। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं मजिद दरियाफ्त से मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आने से रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन की कार्यवाही हेतु श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नम्बर 117 से ब्यूरो कार्यालय के मालखाना से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय खाली मेमोरी कार्ड के मंगवाया जाकर परिवादी श्री मुकेश टांक को डिजीटल वॉईस रिकार्डर के संचालन की विधि की समझाईश कर संदिग्ध कर्मचारी श्री संदीप शर्मा बाबुजी से मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु कानि0 श्री जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 के साथ ट्रेजरी ऑफिस रेलमगरा भिजवाया गया। जिस पर समय 07.00 पीएम पर कानि0 जितेन्द्र कुमार व परिवादी श्री मुकेश टांक ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होकर परिवादी श्री मुकेश टांक ने बताया कि मैं संदिग्ध श्री संदीप शर्मा बाबुजी से वार्ता करने हेतु ट्रेजरी ऑफिस रेलमगरा के अन्दर गया परन्तु श्री संदीप शर्मा बाबुजी ने ट्रेजरी ऑफिस के कार्यालय परिसर में ही साईड में आकर मुझसे बात की। मैने मेरी माताजी के पेन्शन एरियर की राशि मेरी माताजी के खाते में जमा करवाने के सम्बन्ध में संदीप शर्मा से वार्ता की तो संदीप शर्मा ने पेन्शन एरियर की राशि जमा करवाने की एवज में मुझसे 10,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालु कर दिनांक 20.03.2024 को रिकॉर्ड शुदा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो संदिग्ध श्री संदीप शर्मा द्वारा परिवादी श्री मुकेश टांक से रिश्वत राशि 10,000 रूपये की मांग करने की पुष्टि होना पाया गया। दिनांक 28.03.2024 को समय 09.10 ए.एम. पर तलब शुदा गवाहान कनिष्ठ सहायक श्री तरूण गुर्जर एवं श्री चेतन सिंह सोलंकी कार्यालय नगरपरिषद राजसमन्द एवं परिवादी श्री मुकेश टांक ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द रिश्वत राशि 10,000 रूपये लेकर उपस्थित चैकी आया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू करा समय 09.50 ए0एम0 पर परिवादी श्री मुकेश टांक के मोबाईल नम्बर 8078694530 से संदिग्ध श्री संदीप शर्मा के

मोबाईल नम्बर 8955057757 पर कॉल करा फोन को लाउडस्पीकर पर रखकर संदिग्ध श्री संदीप शर्मा से वार्ता करवाई गई। उक्त वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। उक्त वार्ता में संदिग्ध श्री संदीप शर्मा ने अभी राजसमन्द में चुनाव ड्यूटी में व्यस्त होने व फ्री होने पर स्वयं द्वारा कॉल करने की कहा। तत्पश्चात परिवादी श्री मुकेश टांक व आरोपी श्री संदीप शर्मा के मध्य दिनांक 20.03.2024 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्तालाप एवं परिवादी श्री मुकेश टांक के मोबाईल नम्बर 8078694530 एवं संदिग्ध श्री संदीप शर्मा के मोबाईल नम्बर 8955057757 के मध्य दिनांक 28.03.2024 को समय 09.50 एएम पर मोबाईल फोन पर हुई वार्तालाप, जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को ब्यूरो कार्यालय के लेपटोप से कनेक्ट कर परिवादी श्री मुकेश टांक, स्वतंत्र गवाहान श्री तरूण गुर्जर एवं श्री चेतन सिंह सोलंकी के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री जितेन्द्र कुमार कानि. नम्बर 262 द्वारा उपरोक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट अलग-अलग मूर्तिब की गई तथा ब्यूरो के लेपटॉप से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को कनेक्ट कर उसकी मूल एवं डब सीडी श्री जितेन्द्र कुमार कानि. नम्बर 262 द्वारा तैयार की जाकर मूल सीडी को ब्यूरो के लेपटॉप से अलग-अलग चलाकर उपस्थितिन के समक्ष सुना गया तो परिवादी श्री मुकेश टांक ने उक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता में एक आवाज अपनी स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री संदीप शर्मा की होने की पुष्टि की। मूल सीडीयों पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा मूल सीडीयों को नियमानुसार सफेद कपड़े की थैली में अलग-अलग सिलचिट की गई। मुर्तिब शुदा फर्द ट्रांसक्रिप्टों पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की हेष वेल्यु कानि. जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 से ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप में पूर्व से इन्सटॉल्डशुदा ACCESS DATA FTK IMAGER 3.1.2.0 एप्लीकेशन से निकाली जाकर स्वतंत्र गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा शामिल कार्यवाही की गई। परिवादी के पास संदिग्ध श्री संदीप शर्मा का रिश्वत राशि ग्रहण करने हेतु कोई फोन/मेसेज नहीं आने पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री मुकेश टांक एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री तरूण गुर्जर एवं श्री चेतन सिंह सोलंकी को आवश्यक हिदायत कर रूखसत किया गया तथा दिनांक 30.03.2024 को मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी श्री मुकेश टांक ने जरिए दूरभाष बताया कि समय 12.36 पी.एम. पर मैंने मेरे मोबाईल नम्बर 8078694530 से संदिग्ध श्री संदीप शर्मा के मोबाईल नम्बर 8955057757 पर कॉल कर वार्ता की तो श्री संदीप शर्मा ने कहा कि दिनांक 31.03.2024 को पूरे दिन ट्रेजरी ऑफिस खुला रहेगा और आप आकर मुझसे मिल लेना। संदिग्ध श्री संदीप शर्मा अपनी मांग अनुसार दिनांक 31.03.2024 को मुझसे रिश्वत राशि ग्रहण कर लेगा। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को संदिग्ध श्री संदीप शर्मा को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10,000 रूपये की व्यवस्था के साथ दिनांक 31.03.2024 को समय 11.30 ए.एम. पर कस्बा रेलमगरा में रेलमगरा से गीलूण्ड की तरफ जाने वाले आम रास्ते पर किसी एकान्त स्थान पर मिलने एवं मामले की पूर्ण गोपनीयता बनाये रखने की मुनासिब हिदायत की गई, दिनांक 31.03.2024 समय 10.30 ए.एम. पर कार्यालय के हैड कानि. श्री गोविन्द नारायण हैड कानि. नं0 117 से ब्यूरो कार्यालय के मालखाना से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को सुरक्षित निकालकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मंशाराम द्वारा ब्यूरो जाब्ता कानि0 श्री भंवरदान नम्बर 414 को उसकी निजी मोटर साईकिल से तथा ब्यूरो जाब्ता हैड कानि. श्री गोविन्द नारायण 117, श्रीमती सीता हैड कानि0 नम्बर 233, श्री प्रदीप सिंह कानि0 नं. 162, तथा श्रीमती तारा म0 कानि0 नं. 259 को मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशि साथ में लेकर मय प्राईवेट वाहन के अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु कस्बा रेलमगरा की तरफ आवश्यक हिदायत देकर रवाना करते हुए, मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री तरूण गुर्जर कनिष्ठ सहायक, श्री चेतन सिंह सोलंकी कनिष्ठ सहायक, श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नं0 262, श्री यशवन्त सिंह वरिष्ठ सहायक मय लेपटोप, प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स, मय आवश्यक संसाधन मय सरकारी वाहन नम्बर आर.जे. 14 वी.सी. 2589 के कस्बा रेलमगरा की तरफ रवाना होकर समय 11.30 ए.एम. पर रेलमगरा से गिलूण्ड की ओर जाने वाले आम रास्ते पर पहुंचे जहां पर सड़क के किनारे पूर्व पाबन्द शुदा परिवादी श्री मुकेश टांक अपनी मोटरसाईकिल के साथ उपस्थित मिला। समय 11.40 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा स्वतंत्र गवाहान श्री तरूण गुर्जर कनिष्ठ सहायक व श्री चेतन सिंह सोलंकी कनिष्ठ सहायक के समक्ष परिवादी श्री मुकेश टांक पुत्र स्व. श्री सोहन लाल जाति टांक, उम्र 50 साल, निवासी गांव गीलूण्ड, तहसील व पुलिस थाना रेलमगरा जिला राजसमन्द को संदिग्ध श्री संदीप शर्मा को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री मुकेश टांक ने अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000/- रूपये प्रस्तुत किये। उक्त समस्त नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने हेतु सरकारी वाहन नम्बर आर.जे. 14 वी.सी. 2589 की बीच की सीट पर अखबार बिछा कर ब्यूरो जाप्ता की श्रीमती तारा महिला कानि0 नम्बर 259 को उसके पास सुरक्षित रखी हुई फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशी में से फिनोफ्थलीन पाउडर निकाल कर परिवादी श्री मुकेश टांक द्वारा पेश उपरोक्त समस्त नोटो के दोनों ओर उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने हेतु निर्देशित करने पर श्रीमती तारा महिला कानि0 नम्बर 259 द्वारा उक्त समस्त नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया तथा परिवादी श्री मुकेश टांक की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री चेतन सिंह सोलंकी कनिष्ठ सहायक से लिवाई जाकर उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर लगे समस्त नोटो को परिवादी श्री मुकेश टांक के शरीर पर पहनी हुई जीन्स पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में कोई वस्तु नहीं छोडते हुए श्रीमती तारा महिला कानि0 नम्बर 259 से रखवाये गये। तत्पश्चात् एक साफ कॉच के गिलास में साथ लाये पानी के केम्पर से साफ पानी भरवाकर

मंगवाया जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया जाकर दोनो ही स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री मुकेश टांक को दिखाया गया तो उन्होने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस घोल में श्रीमती तारा महिला कानि0 नम्बर 259 के हाथ की उंगलियों को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी श्री मुकेश टांक तथा स्वतंत्र गवाहान श्री तरूण गुर्जर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय नगरपरिषद राजसमन्द एवं श्री चेतन सिंह सोलंकी हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय नगरपरिषद राजसमन्द के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कराकर उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी रिश्वत में उक्त राशि को मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो उक्त नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों पर लग जाएगा और जब उनके हाथों की उंगलियों को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि अपने हाथों से ग्रहण की है। तथा परिवादी को यह भी हिदायत दी कि रिश्वती राशि देने के बाद ब्यूरो कार्यालय के कानि0 श्री जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 के मोबाईल पर फोन कर रिश्वत राशि देने सम्बन्धी निर्धारित ईशारा हां अब ठीक हैं मम्मी करे तथा यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया तथा परिवादी, स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ते का आपस में परिचय करवाया गया। परिवादी श्री मुकेश टांक को डिजीटल वॉइस रिकॉर्ड र के संचालन की विधि की पुनः समझाईस कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी श्री मुकेश टांक को सिपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि के लेन-देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को उक्त डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करें। फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी को श्रीमती तारा महिला कानि0 नम्बर 259 को अपने पास ही सुरक्षित रखने की हिदायत कर ए0सी0बी0 कार्यालय राजसमन्द के लिए रवाना किया। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी नोट व सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर अलग से मूर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। ततपष्चात परिवादी श्री मुकेश टांक ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं संदिग्ध श्री संदीप शर्मा से फोन पर बात करके उसकी लोकेशन के बारे में पता करता हुं। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री मुकेश टांक से उसके पास रखे डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू करवा परिवादी श्री मुकेश टांक के मोबाईल नम्बर 8078694530 से संदिग्ध श्री संदीप शर्मा के मोबाईल नम्बर 8955057757 पर कॉल लगवा मोबाईल फोन को लाउडस्पीकर पर रखकर संदिग्ध श्री संदीप शर्मा से वार्ता करवाई गई। उक्त वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। उक्त वार्ता में संदिग्ध श्री संदीप शर्मा ने ऑफिस में ही होना बताया। जिस पर परिवादी श्री मुकेश टांक को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू करवा उसकी निजि मोटर साईकिल से संदिग्ध श्री संदीप शर्मा से रिश्वत राशि लेनदेन के सम्बन्ध में वार्ता करने हेतु मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के ट्रेजरी ऑफिस रेलमगरा की तरफ रवाना करते हुए परिवादी के पीछे-पीछे ब्यूरो जाब्ता कानि0 श्री भंवरदान नम्बर 414 व कानि0 श्री जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 को निजी मोटरसाईकिल से तथा ब्यूरो जाब्ता हैड कानि. श्री गोविन्द नारायण 117, श्रीमती सीता हैड कानि0 नम्बर 233, श्री प्रदीप सिंह कानि0 नं. 162 को मय प्राईवेट वाहन के ट्रेजरी ऑफिस रेलमगरा की तरफ आवश्यक हिदायत देकर रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री तरूण गुर्जर कनिष्ठ सहायक, श्री चेतन सिंह सोलंकी कनिष्ठ सहायक, श्री यशवन्त सिंह वरिष्ठ सहायक मय लेपटोप, प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स, मय आवश्यक संसाधन मय सरकारी वाहन नम्बर आर.जे. 14 वी.सी. 2589 के परिवादी के पीछे-पीछे मुकिम स्थल से ट्रेजरी ऑफिस रेलमगरा की तरफ रवाना शुदा परिवादी श्री मुकेश टांक के पीछे-पीछे ट्रेजरी ऑफिस रेलमगरा के बाहर पहुंच अपने-अपने वाहनों को साईड में खडा कर हम सभी ट्रेप पार्टी के सदस्यगण अपनी-अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए परिवादी के निर्धारित इशारे व अग्रिम निर्देश के इन्तजार में ट्रेजरी ऑफिस रेलमगरा के बाहर मुकिम रहे तथा मन् पुलिस निरीक्षक ने कानि0 जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 व कानि0 श्री भंवरदान नम्बर 414 को ट्रेजरी ऑफिस रेलमगरा के सामने पेड की ओट लेकर खडे रहने व परिवादी का निर्धारित ईशारा आने व अग्रिम निर्देश तक अपनी-अपनी उपस्थिति को छुपाये रखने की हिदायत की तथा कानि. जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 को रिश्वत राशि लेनदेन के पष्चात परिवादी द्वारा फोन कर निर्धारित ईशारा करने के तुरन्त बाद मन् पुलिस निरीक्षक को फोन करने हेतु निर्देशित किया गया। समय 12.24 पी.एम. पर कानि0 जितेन्द्र कुमार नं0 262 ने मन् पुलिस निरीक्षक को मोबाईल फोन से कॉल कर परिवादी श्री मुकेश टांक से आरोपी संदीप शर्मा द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के संबंध में सुचित किया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक, हमराह उपरोक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री चेतन सिंह व श्री तरूण गुर्जर तथा ट्रेप पार्टी के सदस्य श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नं0 262, श्री गोविन्दनारायण हैड कानि0 नं0 117, श्रीमती सीता हैड कानि. नं. 233, श्री प्रदीप सिंह कानि0 नं0 162, श्री भंवरदान कानि0 नं0 414, श्री यशवंत सिंह वरिष्ठ सहायक के कार्यालय उप कोषाधिकारी रेलमगरा परिसर में तेज-तेज कदमों से प्रवेश किया। जहां पर परिवादी श्री मुकेश टांक उक्त कार्यालय के मुख्य दरवाजे के अंदर ही खडा मिला जिसने मन् पुलिस निरीक्षक को अपने पास रखे डिजीटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक को दिया जिसे मन् पुलिस निरीक्षक ने बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा। तत्समय परिवादी श्री मुकेश टांक ने मन् पुलिस निरीक्षक को उक्त लकडी की बेन्च पर बैठे हुये एक व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही संदीप शर्मा है जिसने मुझसे अभी-अभी 10000 रूपये रिश्वत के रूप में लेकर अपने दोनो हाथों से गिना और आपको आते हुये को देख कर मुझसे ली हुई रिश्वत राशि 10000 रूपये को इसने अपने पास ही लकडी की बेन्च पर रख दिये। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं का तथा हमराहियान

जाप्ता ब्यूरो टीम का परिचय देते हुए उक्त आरोपी से उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम श्री संदीप शर्मा पुत्र श्री विनोद कुमार जाति ब्राह्मण, उम्र 33 साल निवासी गांव गुहाला, 37, रामलीला मैदान, पुलिस थाना नीम का थाना जिला नीम का थाना हाल निवास पंचायत समिति क्वार्टर नं. 06 रेलमगरा हाल सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितिय कार्यालय उप कोषाधिकारी रेलमगरा जिला राजसमन्द होना बताया। आरोपी श्री संदीप शर्मा से मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री मुकेश टांक से 10000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने तथा पास ही लकडी की बेन्च पर रखी रिश्वत राशि के संबंध में पूछा तो आरोपी संदीप शर्मा ने कहा कि मैंने कोई रिश्वत राशि नहीं ली है और मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हुं। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत डिजीटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष चालू कर दिनांक 20.03.2024 को परिवादी श्री मुकेश टांक व उक्त आरोपी श्री संदीप शर्मा के मध्य रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 28.03.2024 को परिवादी श्री मुकेश टांक व उक्त आरोपी श्री संदीप शर्मा के मध्य मोबाईल फोन पर हुई मोबाईल वार्ता तथा ट्रेप कार्यवाही के दौरान परिवादी मुकेश टांक व आरोपी संदीप शर्मा के मध्य हुई मोबाईल वार्ता व वक्त रिश्वत राशि लेन-देन हुई रिकॉर्ड शुदा वार्ता को आरोपी श्री संदीप शर्मा को सुनाया। तत्पश्चात आरोपी संदीप शर्मा को उक्त मांग सत्यापन वार्ता व मोबाईल वार्ताओ व रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता के संबंध में तथा परिवादी मुकेश टांक से रिश्वत राशि लेने के संबंध में पुनः पूछा तो आरोपी श्री संदीप शर्मा ने बताया कि मैनें मुकेश टांक से उसकी माताजी के पेन्शन के एरियर को उसके माताजी के खाते में जमा कराने के लिये उससे 10000 रूपये लिये हैं जो मैंने लेकर गलती कर दी हैं मुझे माफ कर दो और मैंने मुकेश टांक की माताजी के पेन्शन का एरियर उसके खाते में जमा कराने की प्रक्रिया ऑनलाईन भी की हैं। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी संदीप शर्मा के दाहिने हाथ को कलाई के उपर से कानि. जितेन्द्र कुमार नं. 262 से तथा बायें हाथ को कलाई के उपर से श्री यशवंत सिंह वरिष्ठ सहायक से सुरक्षित पकडवा कर आरोपी संदीप शर्मा द्वारा परिवादी श्री मुकेश टांक से प्राप्त की गई रिश्वत राशि 10000 रूपये जो आरोपी ने लकडी की बेन्च पर ही अपने पास रख दिये जिन्हें मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपस्थित ब्यूरो टीम के समक्ष ही स्वतंत्र गवाह श्री तरूण गुर्जर से उठवा कर दोनो ही स्वतंत्र गवाहान से गिनवाये गये तो 500-500 रूपये के कुल 20 नोट होकर कुल राशि 10000 रूपये होना बताया। उक्त नोटों के नम्बरो का मिलान पूर्व में मुर्तिब शुदा फर्द पेशकषी नोट से करवाई गई तो नोटो के नम्बर समान पाये गये। उक्त नोटो को सफेद कागज की चिट लगाकर नियमानुसार सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो लिये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री संदीप शर्मा के हाथ धुलाई की कार्यवाही हेतु श्री गोविन्दनारायण हैड कानि. नं. 117 से सरकारी कार स्विफ्ट डिजायर में रखे ट्रेप बॉक्स को मंगवा कर गोविन्दनारायण हैड कानि0 नं. 117 से ही ट्रेप बॉक्स में से दो साफ कांच के गिलासों में कार्यालय उपकोषाधिकारी रेलमगरा परिसर में रखे हुये पानी के केम्पर में से अलग-अलग साफ पानी भरवाकर मंगवाया तथा उक्त दोनों कांच के गिलासों में अलग-अलग एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिखाया तो रंगहीन घोल होना बताया जिस पर एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री संदीप शर्मा के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धौवण का रंग गुलाबी हो गया जिसे उपस्थितगण को दिखाया तो गुलाबी रंग का घोल होना स्वीकार किया जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवा मार्क RH1 व RH2 अंकित कर शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री संदीप शर्मा के बायें हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो बायें हाथ के धौवण का रंग भी गुलाबी हुआ जिसे भी उपस्थितगण को दिखाया तो गुलाबी रंग का धोवण होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क LH1 व LH2 अंकित कर शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। तत्पश्चात रिश्वत राशि लकडी की बेन्च पर जिस स्थान पर रखी होकर बरामद हुई उक्त स्थान की धुलवाई हेतु श्री गोविन्दनारायण हैड कानि. नं. 117 से एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भराकर मंगवा उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार करवाया। उक्त घोल को दोनों गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन होना बताया। उक्त लकडी की बेन्च रिश्वत राशि बरामदगी स्थान पर एक साफ रूई का फोया रगडकर उक्त रंगहीन घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे उपस्थितगण व स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो उक्त धौवण का रंग हल्का गुलाबी होना बताया। उसके पश्चात् उक्त धौवण को दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क B1 व B2 अंकित कर शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री संदीप शर्मा सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री तरूण गुर्जर कनिष्ठ सहायक से लिवाई तो आरोपी श्री संदीप शर्मा के पहनी हुई पेन्ट के सामने की दाहिनी जेब में एक रेडमी कंपनी का मोबाईल मिला जिसके अलावा और कोई वस्तु नहीं मिली। उक्त मोबाईल को वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री संदीप शर्मा को परिवादी मुकेश टांक के माताजी के पेन्शन के एरियर से संबंधित प्रक्रिया के ऑफलाईन व ऑनलाईन रिकॉर्ड के संबंध में पुछा तो आरोपी संदीप शर्मा ने मुकेश टांक के माताजी के पेन्शन के एरियर से संबंधित प्रक्रिया के ऑफलाईन रिकॉर्ड नहीं होने के संबंध में बता कर ऑनलाईन रिकॉर्ड होने के संबंध में बताया तथा साथ ही यह भी बताया कि उक्त ऑनलाईन रिकॉर्ड मेरे उप कोषाधिकारी श्री नीतीन शर्मा आपको उपलब्ध करायेंगे जो अभी वर्तमान में राजसमन्द

गये हुये हैं। इसके उपरांत मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री मुकेश टांक को भी ऑफलाईन प्रार्थना पत्र या अन्य कोई दस्तावेज उपकोष कार्यालय रेलमगरा में प्रस्तुत करने के संबंध में पुछा तो उसने इन्कार किया। तदउपरांत मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री मुकेश टांक की निशादेही से दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री चेतन सिंह व श्री तरूण गुर्जर के समक्ष जरिये फर्द नक्शा मौका मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गए। एवं फर्द खाना तलाशी आरोपी श्री संदीप शर्मा के कस्बा रेलमगरा के रिहायशी निवास स्थान पंचायत समिति क्वाटर नं0 6 की नियमानुसार ली जाकर फर्द मूर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर कराये गये। समय 02.50 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मंशाराम, गवाहान, परिवादी मय हमराहियान मय आरोपी श्री संदीप शर्मा, मय मालखाना आर्टीकल्स, जप्त शुदा रिश्वत राशि मय वाहनों के रेलमगरा से रवाना हो 03.55 पी. एम. पीएम पर एसीबी कार्यालय राजसमन्द पहूंचे। त्तपश्चात पूर्व पाबन्द शुदा श्री नितिन शर्मा उपकोष कार्यालय रेलमगरा जिला राजसमन्द उपस्थित कार्यालय आये, परिवादी श्री मुकेश टांक की माताजी श्रीमती चांदीबाई उर्फ चांद कुंवर के पेन्शन से सम्बन्धित ऑन लाईन रिकॉर्ड के प्रमाणित दस्तावेजात पेश किये। उक्त दस्तावेजात में परिवादी श्री मुकेश टांक की माताजी के नाम पर जारी मासिक पेन्शन का रिकॉर्ड, पेन्शन एरियर राशि 4,86,366 से सम्बन्धित ऑन लाईन रिकॉर्ड संलग्न है। श्री नितिन शर्मा उपकोषाधिकारी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि श्री मुकेश टांक की माताजी की पेन्शन एरियर राशि 4,86,366 रूपये से सम्बन्धित पेन्शन एरियर प्रकरण तैयार करना एवं ऑन लाईन डाटा फिडिंग की कार्यवाही श्री संदीप शर्मा सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय द्वारा की जा रही हैं। श्री संदीप शर्मा सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय द्वारा श्री मुकेश टांक की माताजी की पेन्शन एरियर की राशि 4,86,366 रूपये से सम्बन्धित ऑन लाईन डाटा फिडिंग कर डाटा अपडेट कर दिया गया हैं जिसका भुगतान आगामी माह की पेन्शन के साथ उक्त पेन्शन एरियर राशि 4,86,366 रूपये पेन्शनर श्रीमती चांदी बाई उर्फ चांद कुंवर के खाते में नियत तिथि को जमा हो जायेगी। तत्पश्चात परिवादी श्री मुकेश टांक के मोबाईल नम्बर 8078694530 एवं आरोपी श्री संदीप शर्मा के मोबाईल नम्बर 8955057757 के मध्य दिनांक 31.03.2024 को समय 12.11 पी.एम. पर मोबाईल फोन पर हुई वार्तालाप एवं परिवादी श्री मुकेश टांक एवं आरोपी श्री संदीप शर्मा के मध्य दिनांक 31.03.2024 को हुई रिश्वत राशि लेनदेन वार्तालाप, जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई, की फर्द ट्रांसक्रिप्ट अलग-अलग मूर्तिब की गई तथा ब्यूरो के कम्प्यूटर से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को कनेक्ट कर उसकी मूल एवं डब सीडी श्री भंवरदान कानि नम्बर 414 द्वारा तैयार की जाकर नियमानुसार सिलचिट की गई उक्त मोबाईल वार्ता एवं लेने देन वार्ता की हेष वेल्यु कानि. जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 से ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप में पूर्व से इन्सटॉल्डशुदा ACCESS DATA FTK IMAGER 3.1.2.0 एप्लीकेशन से अलग-अलग निकाली जाकर स्वतंत्र गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा शामिल कार्यवाही की गई। श्री संदीप शर्मा सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय कार्यालय उप कोषाधिकारी रेलमगरा जिला राजसमन्द के विरूद्व धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित 2018 का प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से आरोपी श्री संदीप शर्मा सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय को नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी, फर्द मोबाईल जप्ती, फर्द मेमोरी कार्ड एवं फर्द नष्टीकरण अलग से तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया गया कि आरोपी श्री संदीप शर्मा हाल सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय, कार्यालय उप कोषाधिकारी रेलमगरा जिला राजसमन्द द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर परिवादी श्री मुकेश टांक के माताजी के पेन्शन एरियर के भुगतान करने की एवज में दिनांक 20.03.2024 को दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता अनुसार परिवादी मुकेश टांक पिता स्व. श्री सोहन लाल टांक निवासी गिलुण्ड तहसील व पुलिस थाना रेलमगरा जिला राजसमन्द से 10000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करना तथा दिनांक 20.03.2024 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता में पूर्व में परिवादी श्री मुकेश टांक से रिश्वत राशि 10000 रूपये प्राप्त करने के संबंध में भी अपनी सहमति प्रकट करना तथा मांग सत्यापन वार्ता के अनुसरण में दिनांक 31.03.2024 को दौराने ट्रेप कार्यवाही वक्त रिश्वत राशि लेन-देन परिवादी श्री मुकेश टांक से रिश्वत राशि 10000 रूपये मांग अनुसार प्राप्त करना तथा उक्त रिश्वत राशि 10000 रूपये आरोपी श्री संदीप शर्मा हाल सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय द्वारा प्राप्त कर अपने हाथों से गिनकर कार्यालय परिसर के मुख्य दरवाजे के अंदर की तरफ रखी लकडी की बेन्च पर रखना व उक्त लकडी की बेन्च पर रखी रिश्वत राशि को आरोपी संदीप शर्मा व परिवादी मुकेश टांक व स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो टीम के समक्ष रिश्वत राशि 10000 रूपये बरामद होना तथा उक्त आरोपी श्री संदीप शर्मा द्वारा परिवादी श्री मुकेश टांक से रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात दोराने ट्रेप कार्यवाही हाथ धुलाई के उपरांत दोनो हाथों के धोवण का रंग गुलाबी होना व उक्त लकडी की बेन्च जिस पर से रिश्वत राशि बरामद हुई उक्त स्थान के धोवण का रंग भी हल्का गुलाबी होने से आरोपी श्री संदीप शर्मा पुत्र श्री विनोद कुमार जाति ब्राह्मण, उम्र 33 साल निवासी गांव गुहाला, 37 रामलीला मैदान, पुलिस थाना नीम का थाना -जिला नीम का थाना हाल निवास पंचायत समिति क्वार्टर नं. 06 रेलमगरा हाल सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय कार्यालय उप कोषाधिकारी रेलमगरा जिला राजसमन्द का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित 2018 का प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से आरोपी श्री संदीप शर्मा सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्र0 नि0 ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीय (मंशाराम) पुलिस निरीक्षक

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजसमन्द.....कार्यवाही पुलिस.... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री हिम्मत चारण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों राजसमन्द के माध्यम से श्री मंशाराम, पुलिस निरीक्षक, ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री संदीप शर्मा पुत्र श्री विनोद कुमार शर्मा, निवासी गांव गुहाला 37, रामलीला मैदान, पुलिस थाना नीम का थाना, जिला नीम का थाना हाल निवासी पंचायत समिति क्वार्टर नम्बर 06, रेलमगरा हाल सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–द्वितीय, कार्यालय उप कोषाधिकारी रेलमगरा जिला राजसमन्द के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 53/2024 उपरोक्त धारा में दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी श्री विक्रम सिंह राठौड, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर को सुपुर्द कर नियमानुसार जारी की गई।उक्त की रोजनामचाआम रपट 04 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर। क्रमांक253-56 दिनांक 01.04.2024 प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1.विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर। 2.निदेशक कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर। 3.उप महानिरीक्षक पुलिस, भष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर। 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमन्द। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Vikram Singh Rathore **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 01/04/2024 19:35:35

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	02/06/1990				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)